- 8. अपने विवाह अथवा अपने पुत्र/पुत्री/बहन /भाई के विवाह के लिए (घोषण प्रस्तुत करें) Marriage of Self/Son/Daughter/Sister/Brother: (Furnish a declaration in Form 31)
- बेटा/बेटी के मैट्रिक से उच्च शिक्षा के लिए (संबंधित कालेज द्वारा कोर्स के तथा अनुमानित खर्च के बारे में प्रमाण - पत्र देना होगा)
 Post Matriculation education of Son/Daughter: (Certificate from the institution regarding the course of study and anticipated expenditure)
- 10. प्राकृतिक विकोप (प्रवाह/दंगा/भूकम्प) के कारण जायदाद को क्षति। (प्रपत्र 'डी' भरकर प्रस्तुत करें) Damage to the property due to natural calamity (Flood/Riot/Earthquake): (Furnish the certificate 'D' given overleaf)
- विद्युत रोके जाने पर प्रभावित होने पर : (प्रपत्र 'ई' भरकर प्रस्तुत करे)
 Affected by cut in electricity: (Furnish the certificate 'E' given overleaf)
- 12. शारीरिक अपांग सदस्य साधन खरीदने के लिए (प्रपत्र - 'एफ' भरकर प्रस्तुत करें) Purchase of equipment for physically handicapped member: (Furnish the certificate 'F' given overleaf)
- सूचना : 1) स्वीकृति अधिकारी द्वारा वांछित अन्य ऐसे कोई दस्तावेज / प्रमाण -पत्र भी देना होगा

 Note : Such other document, certificate etc., as may be required by sanctioning authority are also required to be furnished.
 - 2) यदि एक महीने के अन्दर कोई सूचना नहीं मिली तो स्थापना के मार्फत क्षे.भ.नि.आ/प्रभारी अधिकारी (उ.ले.का) के लिखें। In case no intimation is received within a month, please write to the R.P.F.C./Officer-in-charge of Sub-Account office through the establishment.